

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।


क्रमांक:-निदे/प.7(1)19/जांच/2018/स्जे-1

दिनांक: 10/5/2018

-:: कार्यालय आदेश ::-

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता गोटन के निरीक्षण दिनांक 01-05-2018 के दौरान ध्यान में आया कि श्री रमेश गहलोत, खनि कार्यदेशक-द्वितीय, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन द्वारा राजकार्य में गम्भीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। अतः श्री रमेश गहलोत, खनि कार्यदेशक - द्वितीय कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता गोटन के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अंतर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ कर श्री गहलोत को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

निलम्बन काल में श्री रमेश गहलोत, खनि कार्यदेशक-द्वितीय का मुख्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर में रहेगा तथा इनको निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।


(डी.एस.मारु)
निदेशक
(के.एम.-एम.ए.ए.)


क्रमांक:-निदे/प.7(1)19/जांच/2018/स्जे-2-8

दिनांक: 10/5/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक खनि अभियन्ता, गोटन को पालनार्थ भेजकर लेख हैं कि उक्त निलम्बन आदेश की पुष्टि हेतु श्री रमेश गहलोत, खनि कार्यदेशक - द्वितीय के विरुद्ध आरोप पत्रादि मय प्रमाणित/मूल अभिलेख निदेशालय को आदेश प्राप्ति के 3 (तीन) दिवस में जरिये ई-मेल/विशेष वाहक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. वरिष्ठ निजी सहायक(निदेशक)/निजी सहायक(अ.नि.प्र.)
3. नियुक्ति अनुभाग/बिल लिपिक, के0का0 उदयपुर ।
4. श्री रमेश गहलोत, खनि कार्यदेशक - द्वितीय द्वारा-कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, गोटन
5. रक्षित पत्रावली ।

रजि.एडी.


निदेशक
(के.एम.-एम.ए.ए.)